



राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग

State Consumer Helpline:-
☎ 1800-180-6030 Or 14435
📞 7230086030

क्रमांक एफ 89/संस्था/LM-01(05)/2024-00480

जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षरित दिनांक

कार्यालय आदेश

विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, उपभोक्ता मामले विभाग में कार्यरत निम्नांकित विधिक मापविज्ञान निरीक्षक/अधिकारियों को प्रशासनिक एवं कार्यात्मक आवश्यकता के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रयोगशालाओं का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पदस्थापन	अतिरिक्त कार्यभार
1	सुश्री भावना दयाल	अजमेर	अजमेर का कुछ भाग (जो पूर्व में श्री जितेन्द्र सचदेवा को आवंटित था)
2	श्री जितेन्द्र सचदेवा	भिवाडी	खैरथल-तिजारा
3	श्री भूपराज जाटव	कोटा	बूंदी
4	श्री लोकेश कुमार मीणा	राजसमन्द	ब्यावर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
निदेशक/नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक/नियंत्रक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित जिला कलक्टर।
- उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- उपनियंत्रक, विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
- सम्बन्धित सम्भागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी।
- सहायक प्रोग्रामर, उपभोक्ता मामले विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने, संबंधित को ई-मेल करने एवं आवश्यक मैपिंग कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।
- संबंधित विधिक मापविज्ञान अधिकारियों को पालनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।

